मुंगेर। जिला परिषद सभागार में बुधवार को ईट भट्ठा मालिकों को स्वच्छ तकनीक की जानकारी देने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर प्रशिक्षक समर्थ गुप्ता, सोनल कुमार, डॉ नवीन कुमार तथा दिनेश कुमार ने कार्यशाला में उपस्थित भट्ठा मालिकों को नई तकनीक के बारे में जानकारी उपलब्ध कराया। कार्यशाला में मुंगेर प्रमंडल के सभी छह जिलों मुंगेर, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, बेगूसराय तथा खगड़िया के ईट भट्ठा मालिक शामिल थे। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए समर्थ गुप्ता ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आगामी 2019 तक सभी ईट भट्ठा मालिकों को ईट निर्माण में नई तकनीक का प्रयोग करना आवश्यक होगा। ऐसा आदेश पर्यावरणिक कारणों तथा बढ़ती प्रदूषण की समस्या को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में मुख्य रुप से ईट उद्योग में तीन प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से प्रदूषण पर कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। इन तरीकों में जिगजैग तकनीक का प्रयोग पहला विकल्प है। इसमें कोयले की कम खपत होती है। इसके अलावा भर्टिकल शाफ्ट ब्रिक्स क्लिन तकनीक एवं फ्लाय एश तकनीक भी अहम है। भट्ठा मालिक चाहें तो विकल्प के रुप में किसी भी तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें फ्लाय एश तकनीक का प्रयोग सबसे अहम है। इसके माध्यम से थर्मल पावर स्टेशन से उत्पन्न कोयले के डस्ट का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कोयले के इस डस्ट से पर्यावरण को हानी पहुंचती है तथा इससे कई प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होती है। इसलिए इस विधि से इसका निस्तारण भी किया जाता है। मौके पर पचास से अधिक ईट भट्ठा मालिक उपस्थित थे।